न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0:–10/2018
CIS NO.-TS.-72/2019

श्रीमति सीता देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

राजहरण यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
03.01.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की तरफ से दिये गये आवेदन दिनांक 10.02.2021 संबंधित धारा 74 एवं 77 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 10.02.2021 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में अभी वादी साक्ष्य चल रहा है। वादी द्वारा अपना मूल कागजात सूची के साथ दिनांक 12.12.2018 को श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल किया है। जो अभिलेख पर उपलब्ध है। वादीगण द्वारा दाखिल कागजातों में निबंधित दस्तावेज दिनांक 12.01.1918 मु0 घरभरनी बनाम शिवराज राउत की सच्ची प्रतिलिपि मौजा पिडारी का हालसर्वे खतियान तथा शिवराज गोप वगैरह की निबंधित बयनाम दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि दिनांक 27.09.2016 रूई यादव वगैरह बनाम प्रेमचन्द्र ठाकुर की सच्ची प्रतिलिपि निबंधित बयनामा दिनांक 29.09.2016 रूई यादव वगैरह बनाम राजहरण यादव वगैरह की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल है। तीन किता बयनामा दस्तावेज तथा एक किता हालसर्वे खतियाना खाता सं0–183 की सच्ची प्रतिलिपि होने के कारण लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते है। इन्हें साबित करने के लिए औपचारिक साक्षी की आवश्यकता नही है। उपरोक्त कागजात इस वाद के निर्णय हेतु आवश्यक कागजात है। इन्हें वादीगण की ओर से प्रदर्श करना अतिआवश्यक है। श्रीमान् द्वारा उक्त कागजातों को वादीगण की ओर से प्रदर्श अंकित करने का आदेश नही दिया गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः उपरोक्त वर्णित कागजातों को प्रदर्श अंकित करने का आदेश देने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–01 ता 04 की ओर से दिनांक 06.03.2021 को वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया जिसमें वादीगण का आवेदन तथ्य एवं विधि दोनों दृष्टिकोण से	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0:–10/2018
CIS NO.-TS.-72/2019

लगातार 03.01.2023	खारिज योग्य बताया गया तथा कहा गया कि दस्तावेज दिनांक 12.01.1918 का प्रदर्श करने हेतु जिक्र किया गया है परंतु इस दस्तावेज के बारे में पूर्ण विवरण नही दिया गया है कि दस्तावेज बयनामा है अथवा बक्खशीशनामा। वादीगण के द्वारा अपने आवेदन में यह भी वर्णित नही किया गया है कि वादीगण द्वारा उक्त कागजात वाद बिन्दु निर्धारण के पूर्व दाखिल किये गये या वाद बिन्दु निर्धारण के पश्चात् दाखिल किये गये है। अतः वादीगण का आवेदन अस्पष्ट होने के कारण खारिज योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण का आवेदन खारिज करने की कृपा करें। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख अभी वादी साक्ष्य हेतु नियत है। वादीगण द्वारा दिनांक 12.12.2018 को उक्त दस्तावेज दाखिल किये है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद के अंतिम न्याय निर्णयन हेतु सभी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य न्यायालय में आना चाहिए जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से हो सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। सभी दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आना प्रतीत होते है। अतः पीठ लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि क्रमानुसार सभी दस्तावेजों को प्रदर्श चिन्हित करें तथा वादीगण का आवदेन स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 03.03.2023 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	